फैडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की सदस्य एसोसिएशनों के सदस्यों के लिए प्रस्तावित कोड ऑफ कन्डक्ट ।

1. क्रेता व्यापारी को बिल में लिखी Due तारीख तक बिल राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, यदि क्रेता व्यापारी बिल में लिखी ऽठि तारीख तक भुगतान नही करेगा तो उसे बिल मे छपी धारा के अनुसार 24 प्रतिशत वार्षिक या बिल में लिखित दोनों में जो अधिक हो की दर से बिल की तारीख से ब्याज विक्रेता को देना होगा ।
2. किसी विवाद की स्थिति में, अविवादित राशि का तुरत भुगतान क्रेता को करना होगा । विवादित राशि पर बाद में निर्णय लिया जाएगा ।
3. माल आडॅर के अनुसार न पहुँचे तो क्रेता व्यापारी लिखित में अपनी शिकायत विक्रेता को एक सप्ताह के अन्दर भेजे और लिखित शिकायत की प्राप्ति अवश्य ले ले ।
4. क्रेता व्यापारी खरीदे गये माल (पेपर / बोर्ड) को प्रयोग में लाने से पहले माल की अच्छी प्रकार से जाँच कर लें, कटने व छपने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।
5. सरकारी नियमों के अनुसार सभी Statutory फार्म विक्रेता व्यापारी को हर तिमाही समय पर देना क्रेता व्यापारी की नैतिक जिम्मेदारी है । यदि विक्रेता समय पर Staturory फार्म नहीं दे तो उसके बदले में टैक्स देना होगा । इसके अतिरिक्त हर तिमाही की स्टेटमैन्ट क्रेता व विक्रेता दोनों को कन्फर्म कर लेना चाहिए ।
6. जो क्रेता व्यापारी निर्धारित समय पर भुगतान न करे उसकी जानकारी विक्रेता व्यापारी को अपनी एसोसिएशन को लिखित में भेजनी होगी ।
7. ''इस बिल से सम्बन्धित सभी विवादों का निर्णय एसोसिएशन द्वारा नियुक्त आरबीट्रेटर/ ग्रीवैन्सीज रिड्रैसल बोर्ड द्वारा आरबीट्रेशन नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा'' ।
8. हर क्रेता का **KYC** लेना आवश्यक है ।
9. एसोसिएशन द्वारा समय समय पर निर्धारित सभी निर्देशों का पालन सदस्यों के लिए अनिवार्य है ।
10. जिस क्रेता व्यापारी का भुगतान **Due Date** से **15** दिन बाद तक न आये, ऐसे व्यापारी को माल बेचना / देना बन्द कर देना चाहिए ।